

माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद आयुक्तालय : सूरत  
C G S T & Excise Commissionerate : Surat  
सीजीएसटी बिल्डिंग, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001  
Excise Building, Opp. Gandhi Baug, Chowk Bazar, Surat



फा.सं. XX/18/2020

दिनांक: 04.02.2021

सेवा में  
माननीय महानिदेशक  
निष्पादन-प्रबंधन महानिदेशालय,  
सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर  
डी शेड, आई. पी. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय:- तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत ध्यानाकृष्ट है कि 31/12/2020 को समाप्त अवधि की हिंदी प्रगति रिपोर्ट अग्रेषण पत्र के साथ अगली कार्रवाई हेतु संलग्न है।

यह भी ध्यानाकृष्ट है कि तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(पश्चिम), केंद्रीय सदन, सी.बी.डी. वेलापुर, नवी मुंबई के लिए भी नियमित ऑन लाईन प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: हिन्दी प्रगति रिपोर्ट।

भवदीय,


सहायक आयुक्त(रा.भा.)

माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद आयुक्तालय, सूरत

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीवीआईसी) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. सचिव, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली।
3. उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(पश्चिम), केंद्रीय सदन, छठी मंजिल, सेक्टर 10, सी.बी.डी.वेलापुर, नवी मुंबई
4. मुख्य आयुक्त, वस्तु, सेवाकर एवं सीमा शुल्क, रेस कोर्स सर्किल वडोदरा-390007
5. सहायक निदेशक, नराकास सूरत, कमरा नं.509 मुख्य आयकर भवन मजुरा गेट सूरत।
6. सहायक निदेशक(रा.भा.) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क वडोदरा, रेस कोर्स सर्किल वडोदरा-390007
7. अतिरिक्त महानिदेशक, करदाता सेवा, अहमदाबाद जोन, 5वीं मंजिल, नियर- सोला फ्लाई ऑवर, एस. जी. हाईवे के सामने, अहमदाबाद-380060।
8. फाईल कापी।

o/c



केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

31/12/2020 को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता: माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद आयुक्तालय, सूरत

सी. जी. एस. टी. भवन, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत गुजरात- 395001

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. एस.टी.डी कोड. 0261 फोन नं. 2462722

ई-मेल [cgstsurat-hindi@gov.in](mailto:cgstsurat-hindi@gov.in)

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

(क) जारी कागजात की कुल संख्या	52
(ख) द्विभाषी रूप से जारी कागजात की संख्या	52
(ग) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात	00

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	181
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	66
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	00
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	115

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र से				
'ख' क्षेत्र से	848	201	150	497

4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
	1	2	3
'क' क्षेत्र को	37	12	49
'ख' क्षेत्र को	2854	683	3537
'ग' क्षेत्र को	2	1	03

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां \*

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

1572

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

703

कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

2275

\* पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए।

6. हिंदी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3
01	07	11

नोट: कार्यालय के समस्त कार्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि  
(केंद्रीय प्रधान कार्यालय की)

30.12.2020

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या

12

(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या

12

(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए?

हाँ

8. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

लागू नहीं


(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 250 कैरेक्टर)

1. विभागीय राजभाषा पत्रिका 'तापी' के तृतीय अंक का प्रकाशन किया गया।
2. स्वच्छता पखवाड़ा तथा सतर्कता पखवाड़ा के प्रचार-प्रसार हेतु वैनर एवं पोस्टर राजभाषा हिंदी में बनाए गए।
3. 'सबका विकास, सबका विश्वास' योजना के प्रचार-प्रसार हेतु वैनर एवं पोस्टर राजभाषा हिंदी में बनाये गये तथा व्यापारियों को निर्देश हिंदी दिए गये।
4. प्रशासनिक अनुभाग से कार्यालयीन विज्ञापन राजभाषा हिंदी में प्रसारित किए जाते हैं।

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम :

  
वृत्ताराम


पदनाम : संयुक्त आयुक्त (राजभाषा)

कार्यालय का नाम : जी.एस.टी एवं एक्साइज आयुक्तालय: मुरत

दूरभाष/फैक्स : 0261-2465672 / 2465675

ई-मेल का पता : commr-cexsurat1@nic.com

नोट : 1..कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।


  
विक्रम वाणी  
आयुक्त

प्रमाण पत्र

कार्यालय कोड : ofgj4712

वित्तीय वर्ष: 2020-21

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न 31 दिगंबर, 2020 को गणराज विगारही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा गेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निर्देशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भंग गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार में वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक/मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाएगा।"



विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम :

चूनाराम

पदनाम :

संयुक्त आयुक्त(राजभाषा)


कार्यालय का नाम : जी.एस.टी एवं एक्साइज आयुक्तालय: सूरत

दूरभाष/ फैक्स : 0261-2465672 / 2465675

ई-मेल का पता : commr-cexsurat1@nic.com

तिथि :- 02 .02. 2020

स्थान :- सूरत

  
12.3.2021  
विक्रम वाणी  
आयुक्त